

क्रमांक 232 दिनांक 8/1/2011

NON-ENCUMBRANCE

To the Branch Manager, Central Bank of India, Hazaribagh, Jharkhand.

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

with ref. to your letter no. 94/31/2011
आवेदन पत्र संख्या

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 112

प्रमाण पत्र संख्या

चूंकि श्री Rachmi Puraya, Kharanashikhatyote, Singh
Shikha Puraya, Jhansi, Jharkhand ने मेरे पास आवेदन किया है कि

निम्नलिखित सम्पत्ति के आवेदन में निम्नलिखित सम्पत्तियों का विवरण प्रमाणपत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले सब्यवहारों और अवभारों के बारे में बही और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 01.01.2011 से ता. 5.1.2011

तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सब्यवहारों और अवभारों का पता चला है: P. C. Hazaribagh, S. N. B. Khata No. 1 Plot No. 71 Area - 42 du

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टी के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दर्स	वर्ष	पृष्ठ


क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भूगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो

ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी का और प्रमाण पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर 
T.C.

पदनाम T.C.


तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर 

पदनाम T.C.

कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय,
हजारीबाग।

तारीख 8/12/24


जिला अवर निबंधन,
हजारीबाग
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
8/12/24

टिप्पणी इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टि या देखना चाहते हों अथवा जो इनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिविष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जायगी।
(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तल **VARDAN DEVELOPERS**
Ritvik Anand
PARTNER
जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढ गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा। जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रभाव न पड़ता हो।

संपत्ति की स्वयं जाँच किया जाकर अवभारों को उक्त पत्र में
रिश्तदार (8)